(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों द्वारा तय किए गए इन विभिन्न मापदंडों और दरों में विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से देश भर में उपर्युक्त श्रेणियों के लोगों के लिए एक समान दरों और एक समान नियमों के आधार पर केन्द्रीय बजट से पेंशन प्रदान करने पर विचार करेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है जिसका एक घटक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके अंतर्गत 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों और जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, को 75 रुपए प्रति माह की दर पर वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अधिक वित्तीय कठिनाइयों के कारण देश में विकलांग व्यक्तियों तथा विधवाओं को केन्द्रीय बजट में से पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धूम्रपान विरोधी अभियान

176. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में हर दस सेकेंड में एक व्यक्ति तम्बाकू का शिकार होता है शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धूम्रपान विरोधी अभियान को और तेज करने के लिए कोई कारगर योजना बनाई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य मंत्रालय का तम्बाकू से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में तम्बाकू के प्रयोग/उपयोग पर रोक सहित तम्बाकू और तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है। इसी बीच, सरकार ने सिगरेट के पैकेटों पर यह सांविधिक चेतावनी कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारण है" लिखवाने के अतिरिक्त तम्बाकू के कुप्रभावों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

Provident Fund of Employees in Sick PSUS

177. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have proposed to enforce rules regarding deposit of Provident Fund contribution of employees in sick PSUs;

(b) whether Government would now provide funds for regularization of arrears of Provident Fund; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) In the matter of deposit of Provident Fund of employees the EPF & MP Act, 1952 makes no discrimination between sick PSUs and other defaulting establishments. However, coercive recovery action is not taken against the sick industries registered with the BIFR.

(b) No., Sir

(c) Does not arise.

Demand and Supply of Edible Oils

178. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the gap between the demand and supply of edible oils is increasing unabatedly;

((b) if so, the reasons for the Government not being able to check this gap; and

(c) what has been the effect of this gap on the prices?

THE MINISTER OF FOOD AND *THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES* CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) As a result of substantial increase in the production of

edible oilseeds in the country during last few years, the gap between demand and supply of edible oils has narrowed down significantly.

(b) and (c) The present gap in the demand and supply is mainly due to several factors like continuous rise in the demand for edible oils owing to incremental population, limited prospects for increasing edible oilseeds production in short run and constraint of foreign exchange for importing higher quantities of edible oils by the Government. However, the import of edible oils being under OGL, adequate quantity of edible oils have been imported during the last two years. These imports and increased production of edible oilseeds in the country have sobering effect on the prices of edible oils during recent years.

Trade Relations with Pakistan

179. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for the expansion of trade relation with Pakistan;

(b) if so, the areas in which the Indo-Pak trade relation was established earlier;

(c) the new areas and the existing areas in which Indo-Pak trade is proposed to be expanded;

(d) the programme drawn up thereon; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH) (a) to (e) Trade between India and Pakistan is hampered by Pakistan Government's restrictive policy on imports from India. Pakistan has not accorded Most-Favoured-Nation status to India in contravention of its GATT/WTO obligations; instead it currently allows imports from India only against a unilateral list of 573 items, many of which do not have a real export potential from India. Under the circumstances, it is not feasible to formulate a promotion strategy for trade with Pakistan, even if there is good scope. The Government of India have made a formal demarche to the Pakistan Government about grant of MFN status, response to which is awaited.

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता

180. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस०सुरेजवाला:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता की प्रथा व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) 1992 से 1994 तक की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता से संबंधित किसी आपराधिक मामले की रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे अपराधों की सूचना प्राप्त हुई है और यह चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में किए गए नमूना मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि अस्पृश्यता की प्रथा शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है।

(ग) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए उपायों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कानूनी सहायता, अभियोगों को चलाने अथवा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति तथा विशेष न्यायालयों की स्थापना सहित समुचित सुविधाओं का प्रावधान शामिल हो सकता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान, इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय